मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-12.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि सभी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार CWJC के 912 मामले उच्च न्यायालय में दायर किए गए जबकि 2705 मामले का निष्पादन हुआ। इसी प्रकार MJC के 104 नये मामले उच्च न्यायालय में दायर किए गए जबकि 614 मामलों का निष्पादन हुआ। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि यदि इसी प्रकार सभी विभाग सतत प्रयास करते रहें तो कुल लंबित मामलों की संख्या में काफी हद तक कमी लायी जा सकती है।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामलों में प्रतिशपथ दायर करने वाले पाँच अच्छे विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभाग शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभाग जिनमें समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शामिल है, पर चर्चा किया गया। मुख्य सचिव बिहार के द्वारा इनके अच्छे प्रदर्शन हेतु सराहना किया गया।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले पाँच विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग शामिल है। इसी प्रकार अवमाननावाद (MJC) के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों जिनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं, पर चर्चा किया गया। इन विभागों को प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में हो रहे विलंब के आलोक में सतत् प्रयास करने व विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

5. बैठक में सभी विभागों में से वैसे विभाग जहाँ प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले लंबित है उन पर भी चर्चा किया गया। इनमें CWJC के संदर्भ में शिक्षा विभाग (1266 मामले), स्वास्थ्य विभाग (947 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (659 मामले), समाज कल्याण विभाग (423 मामले), सहकारिता विभाग (418 मामले) में सर्वाधिक मामले लंबित है।

इसी प्रकार अवमाननावाद (MJC) के कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले स्वास्थ्य विभाग (173 मामले), शिक्षा विभाग (103 मामले), सहकारिता विभाग (73 मामले), नगर विकास एवं आवास विभाग (23 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (23 मामले) में लंबित है।

1/9/15

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हो रहे समीक्षा के फलस्वरूप विभिन्न विभागों जैसे कि:- शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी लाया गया है। इसके बावजूद वर्त्तमान में जो मामले लंबित है उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाय ताकि मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

6. परिवहन विभाग के द्वारा CWJC के प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित 53 मामलों में केवल 2 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी CWJC के 100 मामलों में से मात्र 10 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किए जाने पर मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए इन विभागों को प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संदर्भ में विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया गया।

7. बैठक में सभी विभागों को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि विभाग में एक जैसे सदृश्य अनेक मामला हो तो वैसी स्थिति में किसी विशेष अधिवक्ता की मांग महाधिवक्ता, बिहार से किया जा सकता है।

8. बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि महाधिवक्ता, बिहार के पास परामर्श के लिए जो संचिकायें जाती है, उनके परामर्श के साथ के साथ वापस करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नही है। साथ ही यह पता लगाना भी मुश्किल है कि संबंधित संचिका किस अपर महाधिवक्ता, स्थायी समुपदेशक, सरकारी वकील अथवा राजकीय अधिवक्ता के पास परामर्श हेतु लंबित है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सचिव, विधि विभाग को यह निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की संचिकाओं की Monitoring विभाग के द्वारा किया जाय। साथ ही इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश भी दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

14/8/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...5418..जे0 पटना, दिनांक-..26/08/15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/..5418..जे0 पटना, दिनांक-..26/08/15..

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन) 19/8
सरकार के सचिव, बिहार।